

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 355]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 जुलाई 2017—आषाढ़ 28, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्र. डी-15-37-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, व्यापार तथा खाद्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145/13, दिनांक 9 जून, 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, श्योपुर, जिला श्योपुर के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

### स्थान

ग्राम पंचायत कराहल, तहसील कराहल, जिला श्योपुर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 3.845 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	रकबा (हेक्टेयर में) (3)
1	1. 1135/1 में से	2.016
	2. 1135/2	0.470
	3. 1135/3	1.359
		कुल योग . . 3.845

### जिसकी सीमाएं

उत्तर में—बाजार के लिये पहुंच मार्ग.  
दक्षिण में—कुषकों की निजी भूमि.  
पूर्व में—गढ़ी किला, पीरबाबा की मजार.  
पश्चिम में—करियादेह रोड, कराहल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्र. डी-15-19-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

Bhopal, the 19th July 2017

No. D-15-37-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Seopur, District Seopur has been established by this department's Notification No. 145/13, dated 9<sup>th</sup> June, 1953 shall be the sub market yard, namely:—

#### PLACE

An area of 3.845 Hectors land of below Mentioned Khasra number at Gram Panchayat Karahal in Tehsil Karahal of District Seopur:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hectors)
(1)	(2)	(3)
1	1. In to 1135/1 2. 1135/2 3. 1135/3	2.016 0.470 1.359
All Total ..		3.845

#### BOUNDED BY

On the North by—Approch road for Market.

On the South by—Private Land of Farmer's.

On the East by—Gadhi Fort & Mazaar of Peer Baba.

On the West by—Kariyadeh road-Karahal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्र. डी-15-37-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक ...जुलाई, 2017 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र, श्योपुर, जिला श्योपुर के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

#### क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत कराहल, तहसील कराहल, जिला श्योपुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।
- (2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
  1. कराहल (कराहल, पारोद, रोहणी, चक वीलेण्डी, सोनीपुरा, चक-रामपुरा, 2. गोवर्धा खुर्द (गोवर्धा खुर्द, पीतमपुरा), 3. रानीपुरा, भोटपुरा, 5. खिरखिरी, 6. बाढ़, 7. कानरखेड़ा, 8. राहरोन (राहरोन, नीची), 9. बांकुरी, 10. निमानिया, 11. मोराई, 12. सेमरा, 13. मेहरवानी, 14. खोहरी, 15. पनवाड़ा (पनवाड़ा, चक-बरीदेह), 16. सिलपुरा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्र. डी-15-37-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव,

Bhopal, the 19<sup>th</sup> July 2017

No. D-15-37-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard declare vide this department's notification even number dated .....July, 2017 the following area of Seopur of District Seopur shall be sub market yard, namely:—

#### AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat at Karahal in Tehsil Karahal of District Seopur.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub market yard, namely:—
  - 1. Karahal (Karahal, Parod, Rohni, Chak-Bielendi, Sonipura, Chak-rampura), 2. Goverdha khurd (Goverdha khurd, Peetampura), 3. Ranipura, 4. Bhotupura, 5. Khirkhri, 6. Baadh, 7. Kanarkheda, 8. Rahron (Rahron, Neechi), 9. Baakuri, 10. Nimaniya, 11. Morai, 12. Semra, 13. Meharwani, 14. Khor, 15. Panwada (Panwada, Chakbarideh), 16. Silpuri.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. S. DHURVE, Dy. Secy.